न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :13/2019

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16 ओ तहसील श्री करणपुर।
2. हरप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16 ओ तहसील श्री करणपुर।

——वादीगण——

बनाम

1. गुरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 16 ओ तहसील श्री करणपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

——प्रतिवादीगण——

1. श्री गंगाराम प्रसाद, अधिवक्ता —:वादीगण की ओर से:—
2. श्री इन्द्रजीत सिंह , अधिवक्ता —:प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से:—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए आरटीए

——निर्णय—— दिनांक : 06/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा करनैल सिंह के नाम चक 16 ओ की जमाबंदी सम्वत 2025 में ख़ाता संख्या 9/7 के मु0न0 22 में 5 बीघा, मु0न0 23 मे 5 बीघा व खाता संख्या 13/11 मे 50 हिस्सा कुल 15 बीघा भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है, जो प्रतिवादी सख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। चक 16 ओ की जमाबंद सम्वत 2070–73 मे प्रतिवादीगण संख्या 1 को खाता संख्या 9/11 मे मु0न0 22 में 5 बीघा, मु0न0 23 मे 5 बीघा, मु0न0 36 मे 12 बीघा 10 बिस्वा एवं इसी चक के खाता संख्या 72/64 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.329 है0 भूमि विरास्तन प्राप्त हुई। वादी के पिता गुरजीत सिंह को वादीगण के दादा से प्राप्त हुई है, जो पैतृक सम्पति है। चक 16 ओ की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पहले से हिस्सा बांटकर दी गई है, जिस पर वादीगण शांति पूर्वक काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता गुरजीत सिंह नशे का आदि है व जमीन को किसी अन्यत्र जगह बेचने की फिराक में है, इसलिए वादीगण अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार पैतृक सम्पति भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे। अब 10 रोज पूर्व पैतृक सम्पति वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने से साफ साफ इंकार कर दिया। यही वाद का कारण है। वादीगण अपने दादा करनैल सिंह की भूमि जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई जिसमें वादीगण भूमि लेने के अधिकारी है। वादीगण भूमि पाने से वंचित हो गए है, जिससे वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान हुआ है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर एवं अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि चक 16 ओ की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 में वादीगण को मु0न0 22 के

मूलचन्द लूणिया
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

5 बीघा, मु0न0 23 के 5 बीघा, मु0न0 36 में 12 बीघा 10 बिस्वा व इसी चक के मु0 न0 47 में 1 बीघा कुल भूमि 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर मालिक खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थिति आए व जवाब दावा पेश किया। जवाव दावा के तथ्य निम्न प्रकार से है– वाद पत्र की मद संख्या 1 ता 3 स्वीकार है, मद संख्या 4 ता 7 अस्वीकार है एवं मद संख्या 8 ता 9 कानूनी है। अतः जवाव दावा प्रतिवादी संख्या 1 पेश कर निवेदन है कि दावा डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। जवाब दावा नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वारिस प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 15 ओ प्रस्तुत किया गया। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार गुरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव 16 ओ के रहने वाले है, मै इनको व्यक्तिगत जानता हूं, इनके दो वारिस गुरप्रीत सिंह व हरप्रीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह निवासी 16 ओ है। जवाब स्टेट पेश नही होने पर, जवाब स्टेट बंद किया गया।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में चक 16 ओ की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 9/11 के मु0 न0 7, 22, 23, 25 व 62/24 के कुल 11.827 है0 नहरी मय बाग तथा खाला भूमि एवं इसी चक के खाता संख्या 62/64 के मु0 न0 47 की पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या 9/11 में प्रतिवादी सख्या 1 गुरजीत सिंह के नाम दर्ज भूमि में से 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण को हिस्सा में बांटकर दी गई है। अतः वादीगण को मु0 न0 22 के 5 बीघा, मु0न0 23 के 5 बीघा व मु0 न0 36 में 12 बीघा 10 बिस्वा व मु0न0 47 में 1 बीघा कुल 23 बीघा- 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता करनैल सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के दो वारिस है जो कि वादीगण है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त पैतृक भूमि में से जन्म से ही अपना हक एवं हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश किया गया है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070ता 73 के खाता संख्या 09/11 के मु.न. 7, 22, 23, 36, 62/24 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 11.827 हैक्टर नहरी बागमय खाला भूमि में से वादीगण को मु.न. 22 की 5 बीघा, मु.न. 23 की 5 बीघा, मु.न. 36 की 12–1/2 बीघा भूमि कुल 22–1/2 बीघा भूमि एवं इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 72/64 के मु.न. 47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.329 हैक्टर भूमि में से 0.253 हैक्टर भूमि अर्थात 1 बीघा भूमि कुल 23–1/2 बीघा भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस सम्बन्ध में यदि कोई राजस्व हानि या राजस्व देय है तो वह सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगें। पर्चा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी}

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

गुरप्रीत सिंह आदि बनाम गुरजीत सिंह आदि

दावा बनाम **88,91,92ए राज0 काश्त0 अधिनियम** मुकदमा नं0 13/2019

निर्णय दिनांक 06/12/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्री करणपुर, **वकील वादी श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा** ब हाजरी मिनजानिब मुदई वक़ील प्रतिवादी श्री इन्द्रजीत सिंह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070ता 73 के खाता संख्या 09/11 के मु.न. 7, 22, 23, 36, 62/24 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 11.827 हैक्टर नहरी बागमय खाला भूमि में से वादीगण को मु.न. 22 की 5 बीघा, मु.न. 23 की 5 बीघा, मु.न. 36 की 12–1/2 बीघा भूमि कुल 22–1/2 बीघा भूमि एवं इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 72/64 के मु.न. 47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.329 हैक्टर भूमि में से 0.253 हैक्टर भूमि अर्थात 1 बीघा भूमि कुल 23–1/2 बीघा भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस सम्बन्ध में यदि कोई राजस्व हानि या राजस्व देय है तो वह सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/12/19 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अरजी		––
स्टाम्प ड्यूटी	....	00	मेहनताना वकली पर		––
योग	04	00	योग	2	00

मुहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक राजस्व/19/462 दिनांक 06/12/19

प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को उक्तानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.11 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: